भारत सरकार

मार्गदर्शिका

लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना के
कार्यान्वयन के लिए

अद्यतन : संशोधित 2013

राष्ट्रीय विनिर्माण
प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम का एक घटक

विकास आयुक्त
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
भारत सरकार
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
www.dcmsme.gov.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम के तहत लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना के कार्यान्वयन के लिए

विकास आयुक्त
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

अद्यतन : संशोधित 2013

विषय सूची

क्रमांक सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	3
2	योजना की अवधारणा	4
3	लीन विनिर्माण योजना का उद्देश्य	6
4	कार्यान्वयन प्रबंधन	7
5	कार्यान्वयन अवधि	15
6	कवरेज और पात्रता	16
7	अनुमोदन प्रक्रिया	16
8	अनुमोदित गतिविधियॉ और बजट परिव्यय	18
9	निधियों के हस्तांतरण की पद्धतियां	19
अनुबंध- 1	मिनी क्लस्टरों (एमसी) के बीच समझौता ज्ञापन	21
अनुबंध- 2	मुख्तारनामा (एम सी के द्वारा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता को)	28
अनुबंध-3	आवेदन पत्र का प्रारूप	30

संक्षिप्त रूप

डीसी (सूलमउ)	-	विकास आयुक्त (सूलमउ)
डीपीजी	-	विशिष्ट उत्पाद समूह (डीपीजी योजना के लिए पात्र किसी संघ अथवा विद्यमान एसपीवी का हिस्सा है)
जीडीपी	-	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	-	भारत सरकार
आइ ए	-	कार्यान्वयन एजेंसी
आइएफडब्ल्यू	-	एकीकृत वित्त स्कंध
एलएमसी	-	लीन विनिर्माण परामर्शदाता
एलएमसीएस	-	लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना
एमबीआर	-	माइलस्टोन पर आधारित रिपोर्ट
एमसी	-	मिनी क्लस्टर - अधिमानत: 10 सू.ल.म.उ. का एक समूह (नए एसपीवी द्वारा अथवा किसी संघ या विद्यमान एसपीवी के उप समूह/डीजीपी के रूप में निर्मित)
एमएसएमई	-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमएसएमई-डीआई	-	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान
एनएमसीसी	-	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद्
एनएमसीपी	-	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम
एनएमआइयू	-	राष्ट्रीय निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई
एसजी	-	उप समूह (उप-समूह योजना के लिए उपयुक्त किसी संघ अथवा मौजूदा एसपीवी का हिस्सा है)
एसवीपी	-	स्पेशल पर्पज व्हिकल
एसएससी	-	जॉच एवं संचालन समिति
टी एवं सी	-	नियम एवं शर्ते
टीएसी	-	तकनीकी सलाहकार समिति
क्यूसीआइ	-	भारतीय गुणवत्ता परिषद्

लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस) के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

1.0 प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के तहत विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय प्रायोगिक चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लाभार्थ उन्नत 'लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मक योजना (एलएमसीएस)' कार्यान्वित करेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस योजना को 500 मिनी कलस्टरों में कार्यान्वित किया जाएगा जिसकी कुल परियोजना लागत 240.94 करोड़ रुपए (204.94 करोड़ रुपए भारत सरकार का और 36.00 करोड़ रुपये लाभार्थी का अंशदान) होगी इसमें वर्ष 2013-14 में इस योजना के प्रायोगिक चरण के बकाया भाग पर व्यय भी शामिल है।

1.2 लीन विनिर्माण (एलएम) की शुरूआत करने के लिए एमएसएमई को समर्थन प्रदान करने के पीछे सरकार का बुनियादी औचित्य विनिर्माण प्रक्रिया में अवशिष्ट में कमी लाकर, इन्वेंटरी प्रबंधन, स्थल प्रबंधन, ऊर्जा उपभोग आदि द्वारा उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करना है। लीन विनिर्माण तकनीकों के परिणामस्वरूप अस्वीकृति में कमी, प्रक्रियाओं का मानकीकरण, मशीनों का बेहतर (लेआऊट जिसके कारण विनिर्माण के दौरान उत्पादों का भाड़ा कम हो जाता है) आदि भी होता है। लीन विनिर्माण तकनीकों से एमएसएमई की लागत में भी कमी आती है। श्रमिकों के प्रशिक्षण, जानकारी के सृजन, श्रम उत्पादकता में बढ़ोतरी, अन्य उद्योगों की कम निवेश लागत, विनिर्माण में नवीन उत्पादन उपकरण/पद्धतियों को लाना और समाज में कार्य संस्कृति को विकसित करने के संबंध में इसके बहुत से सामाजिक लाभ भी है।

1.3 उद्यमों में लीन विनिर्माण तकनीकों का कार्यान्वयन उन्हें तेजी से स्तरीय उन्नति अर्थात (i) उन्नत अर्थव्यवस्था जिससे प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी (ii) उद्यमों की उत्पादकता में बढ़ोतरी (iii) घरेलू और विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा। इसके साथ ही इससे फर्म में बेहतर कार्य संस्कृति, प्रबंधकीय क्षमताओं आदि के संबंध में विशेषज्ञता की भी बढ़ोतरी होगी। योजना 'प्रदर्शन प्रभाव' की ओर भी उन्मुख करेगी।

1.4 जबकि देश में कुछ संगठनों ने लीन विनिर्माण व्यवहार्यों की शुरूआत कर दी है और उनके लाभ अर्जित करने आरंभ कर दिए हैं, फिर भी देश के कई एमएसएमई की पहुंच अभी इन व्यवहार्यों तक नहीं है। देश में अधिकतर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए लीन विनिर्माण की अवधारणा और तकनीकें अभी भी नई हैं।

1.5 विनिर्माण को अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए प्रमुख प्रेरक के तौर पर माना जाता है। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का भाग कुछ वर्षों में 14-15 प्रतिशत तक सीमित होकर रह गया है। भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2022 तक राष्ट्रीय जीडीपी के 25 प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त करने की परिकल्पना करती है। निरन्तर वृद्धि करते रहने के लिए विर्निमाण क्षेत्र को वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक प्रतिस्पर्धा निर्मित करने तथा उसे बनाए रखने की जरूरत है। लीन विनिर्माण योजना के तहत एमएसएमई को लीन विनिर्माण तकनीकों के अनुप्रयोग से उचित कार्मिक प्रबंध, स्थल के बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक इन्वेंटरी प्रबंध, प्रक्रिया प्रवाह में सुधार, इंजीनियरिंग समय में कमी और इसी प्रकार के अन्य साधनों के माध्यम से उनकी विनिर्माण लागतें कम करने में सहायता दी जाएगी।

1.6 लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना (एलएमसीएस) के आरंभिक चरण की शुरूआत देशभर में 100 मिनि क्लस्टरों (प्रत्येक क्लस्टर में 10±2 इकाइयां शामिल) में लीन विनिर्माण तकनीकों के कार्यान्वयन के लिए 11वें एफवाईपी में जुलाई 2009 में की गई थी।

1.7 भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा संचालित मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने हुए योजना को उन्नत बनाया गया है। लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना के कार्यान्वयन संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट ने इकाइयों द्वारा उपार्जित 20 प्रतिशत तक के लाभों को देखते हुए योजना को जारी रखने की सिफारिश की है।

1.8 भारत सरकार ने वर्ष 2013 के बाद से लीन कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रतिष्ठित किया है। साथ ही एमएसएमई को राष्ट्रीय पुरस्कार में भाग लेने के लिए आगे आने को आगे आकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.0 योजना की अवधारणा

2.1 **लीन विनिर्माण की आवश्यकता:** सदैव परिवर्तनशील वैश्विक वातावरण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता एवं उत्तरजीविता की चुनौतियां प्रस्तुत करता है। विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई के लिए यह चुनौतियां और भी बड़ी हैं। यह देखा गया है कि इकाइयां दिनोंदिन प्रबंधन के मुद्दों में इतनी व्यस्त हैं कि उनके

पास अनुकूल ज्ञान के लिए समर्पित करने और विभिन्न तकनीकों के साधन जुटाने का समय और साधन नहीं है जो उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में और विश्व में प्रतिस्पर्धी होने में उनकी मदद करेंगे। लीन विनिर्माण तकनीकों का एक सेट है जो लंबी अवधि के बाद विकसित हुआ है और जो विभिन्न छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण खोजों पर आधारित है। प्रमुख लीन विनिर्माण तकनीकों की सूची उनके संक्षिप्त विवरण सहित निम्नोक्त है:

1.**5एस प्रणाली**: 5एस प्रणालियां एक कार्यस्थल संगठन है जो कार्य क्षेत्र से "बेकार चीज़ों" को बाहर करने में मदद करती हैं और इसे इस तरह से रखने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। 5एस छंटाई, क्रम में रखना, चमक, मानकीकृत और कार्यक्षम के लिए है।

2.**दृश्य नियंत्रण**: कार्टून्स, चार्ट्स, लाइट सिग्नल्स, फर्श पर लेन चिह्नांकन, सुरक्षा निर्देश, चेतावनी चिह्न, पोका-योके निर्देश आदि जैसे दृश्य नियंत्रणों को समस्त कार्यस्थल पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

3.**मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)**: कुशल कार्मिकों पर निर्भरता हटाने के लिए वांछित उत्पाद गुणवत्ता स्तर, सामंजस्य प्रभाविता और दक्षता प्राप्त करने में समस्त मौखिक निर्देशों को एस ओ पी में बदला जाएगा।

4.**सही समय पर (जे आई टी)**: सही उत्पाद, सही मात्रा और सही समय पर बनाने के लिए यह जापानी विनिर्माण दर्शन है। यह लगभग शून्य सामान सूची में और न्यूनतम संभव समय चक्र में परिणाम देता है।

5. **कानबान प्रणाली** : इसमें अवयवों को असेम्बली या परवर्ती कार्य केंद्रों द्वारा खींचा जाता है और डिब्बों को पूर्ववर्ती कार्य केंद्र द्वारा सही मात्रा में भरा जाता है, जो अवांछित घटकों की शून्य सामान सूची को घटाता है।

6. **सेल्यूलर लेआउट**: इस उन्नत विनिर्माण प्रणाली में, वंशवार घटक समापन का लक्ष्य, पारंपरिक कार्यात्मक लेआउट में परिचालनवार समापन की तुलना में स्वत: पूर्ण सेल में रखा गया है, जो एक बड़े कारखाने का एक भाग है।

7. **उपयोगिता प्रवाह मापन**: यह दोनों मूल्य संवर्धित और गैर-मूल्य संवर्धित सभी गतिविधियों को शामिल करता है और उत्पाद निर्माण के लिए आवश्यक सभी स्रोतों के सर्वोत्तम अभिन्यास पर पहुंचने में मदद करता है।

8. **पोका योके अथवा अशुद्धि परीक्षण**: यह पुन: एक जापानी तकनीक है जिसका उपयोग उनकी उत्पत्ति के स्रोत में आने वाली त्रुटियों को बचाने के लिए किया जाता है और यह अंतत: "शून्य दोष स्थिति" ले आता है।

9.**डाइस का एकल मिनट विनिमय अथवा तत्काल परिवर्तनशीलता (एसएमईडी)**: साधारण विधि में लागू करते हुए, सेट अप समय को न्यूनतम किया जाता है ओर दस मिनट से

कम में लाया जाता है, ग्राहक की आवश्यकतानुसार छोटे बैचों में विनिर्माण के लिए लिया जा सकता है।

10. **टीपीएम (कुल उत्पादक अनुरक्षण)**: टीपीएम में किसी उपकरण के समस्त प्रचालन में सुधार करने में एक साथ कार्यरत् प्रचालक, अनुरक्षण स्टाफ और प्रबंधन शामिल हैं। प्रचालक, जो सबसे पहले शोर मचाने वाली या कंपन करने वाली मोटरों, तेल और हवा के रिसावों की पहचान करते हैं, को प्रमुख और कीमती खराबियों को रोकने के लिए साधारण मरम्मत करने में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

11. **काइज़ेन ब्लिट्ज़ अथवा त्वरित सुधार प्रक्रिया**: यह एक गहन प्रबंधन कार्यक्रम है जो तत्काल परिवर्तन और आधार रेखा सुधार में परिणाम देता है। इसमें प्रबंधन स्टाफ और कर्मचारी दोनों शामिल हैं।

3.0 लीन विनिर्माण योजना का उद्देश्य:

3.1 योजना का उद्देश्य निम्न के साथ विभिन्न लीन विनिर्माण (एल) तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से एमएसएमई की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है:

- ✓ अपशिष्ट कम करना
- ✓ उत्पादकता बढ़ाना
- ✓ व्यापक प्रतिस्पर्धा सुधार के लिए अभिनव प्रक्रिया को लागू करना
- ✓ अच्छी प्रबंध प्रणालियां धारण करना और
- ✓ सतत सुधार की संस्कृति अपनाना

3.2 सामान्य दृष्टिकोण में सरकार के वित्तीय समर्थन से चुने हुए क्लस्टर में चयनित एमएसएमई के साथ कार्य करने के लिए लीन विनिर्माण परामर्शदाता (एलएमसी) को लगाना शामिल है। इस योजनाके तहत एलएम तकनीकों का प्रयोग कर समुचित व्यक्तिगत प्रबंधन, स्थान के बेहतर उपयोग, वैज्ञानिक इन्वेन्टरी प्रबंधन, बेहतर प्रक्रिया प्रवाह, इंजिनियरिंग के समय को कम करके तथा ऐसे ही अन्य उपायों से एमएसएमई को उनकी विनिर्माण लागत में कमी करने में सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजनामुख्यत: विनिर्माण के क्षेत्र में 'अपशिष्ट' को कम करने की व्यावसायिक पहल है।

3.3 इन इंटरवेंशन से अलग-अलग इकाईयों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है अर्थात वे प्रक्रिया प्रवाह में सुधार, प्रक्रिया के मानकीकरण, अपशिष्ट में कमी, प्रसंस्करण समय आदि में सुधार कर कम लागत में बेहतर गुणवत्ता के उत्पादों का विनिर्माण कर सकते हैं। वास्तविक लाभ की मात्रा-सुधार की गुंजाइश, बेंचमार्किंग, उद्यमों/इकाईयों की सहभागिता पर निर्भर करेगी। इन सभी पहलुओं का अध्ययन कर इन्हें निदानात्मक

अध्ययन रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है जिसे फील्ड स्तर पर इंटरवेंशन के प्रारंभ होने पर एलएम परामर्शदाता द्वारा तैयार किया जाता है। वृद्धि संबंधी सुधारों का सत्यापन एनएमआईयू तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा किया जाता है।

4.0 कार्यान्वयन प्रबंधन

4.1 यह योजना देशभर में फैले मिनी कलस्टरों में सभी विनिर्माण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना विकास आयुक्त (एमएसएमई) के समग्र दिशा-निर्देशन में राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाईयों (एनएमआईयू) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। आशा है कि एक बार एमएसएमई को एलएम तकनीकों से फायदा और बचत होने लगेगी तो वे अपने स्वयं के खर्च पर इस योजना को जारी रखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यह योजना देश भर में फैले 500 क्लस्टरों में कार्यान्वित की जाएगी। एलएमसीएस का प्रभावी और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यकता आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि भावी भागीदार इस योजना के प्रावधानों को अपनाए तथा इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केवल एक जैसी सोच वाले उद्यमी ही मिलकर काम करें। तथापि, एक ही क्लस्टर में 2 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, एसएससी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

4.2 इस योजना में एक त्रिस्तरीय संरचना प्रस्तावित है। निचले स्तर पर एक मिनी कलस्टर (एमसी) बनाया जाएगा। विशिष्ट एलएम तकनीकों के कार्यान्वयन के लिए मिनी क्लस्टर की इकाईयां निर्दिष्ट किए गए एलएमसी के साथ कार्य करेंगी। अगले उच्चतर स्तर पर इस योजना को सुविधाजनक बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ईकाईयां (एनएमआईयू) जिम्मेदार होंगी। सर्वोच्च स्तर पर, एसएससी योजना को संपूर्ण दिशा प्रदान करेगा और उसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त (एमएसएमई) करेंगे। योजना का कार्यान्वयन ढांचा नीचे दिया गया है:

4.3 **मिनी क्लस्टर (एमसी)** – मिनी क्लस्टर एक पहचान योग्य और व्यावहारिक, संलग्न क्षेत्र के भीतर स्थित 10 एमएसएमई का एक समूह है, जो एक जैसे/समान उत्पादों का विनिर्माण करते हैं। एक मिनी क्लस्टर किसी नए एसपीवी द्वारा या किसी संघ या मौजूदा एसपीवी के उप समूह/डीपीजी द्वारा गठित किया जा सकता है। एमएसएमई को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एमएसएमई से उम्मीद की जाती है कि वे सहक्रिया, सामूहिक बारगेनिंग और बड़े पैमाने की लागत का लाभ उठाते हुए एक मिनी क्लस्टर बनाने की उपयुक्तता का आकलन करें। एसपीवी के अधिदेश में उपयुक्त बदलाव लाते हुए मौजूदा स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। क्लस्टर में एसपीवी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, किसी दूसरी कानूनी संस्था, अर्थात संबंधित संघ द्वारा भिन्न उत्पाद समूहों (डीपीजी) या उप समूहों के रूप में एमएसएमई को समूहबद्ध करते हुए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। डीपीजी और एसजी संघ या मौजूदा एसपीवी के भीतर छोटे समूह होंगे जिन्हें एसपीवी या संघ, जैसा भी मामला हो, के प्रबंधन के अनुमोदन से गठित किया जाएगा। एक संघ या क्लस्टर के अंदर एक से अधिक डीपीजी/एसजी गठित किया जा सकता है। एक मिनी क्लस्टर में आदर्श रूप से 10 एमएसएमई (न्यूनतम 6 इकाइयां) होंगे। मिनी क्लस्टर की सभी इकाइयां विशिष्ट एलएम तकनीकों को लागू करने के लिए निर्धारित एलएमसी के साथ काम करेंगी। यदि इस योजना का लाभ एसपीवी (मौजूदा या नई) द्वारा उठाया जा रहा है, तो एनएमआईयू से निधियों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय बैंक में एक अलग संयुक्त बैंक खाता खोला जाएगा। यदि योजना का लाभ उठाने के लिए डीपीजी/एसजी गठित किया जाता है, तो परियोजना के लिए विशिष्ट खाता, एसपीवी या संघ के प्रमुख और डीपीजी/एसजी के नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से खोला जाएगा। जो इकाइयां आरंभिक चरण में लाभ उठा चुकी हैं, उन्हें उन्नत योजना में लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.1 स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी): एसपीवी निम्नलिखित में से कोई हो सकता है:

- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या किसी ऐसे ही ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार "ट्रस्ट"
- भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार गठित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
- सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत "सोसाइटी"
- समय-समय पर अनुमोदित कोई ऐसी ही संस्था

4.2 एमएसएमई को अपने बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे (**अनुबंध I**) समझौता ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे:

(क) इकाइयों की सामूहिक और संयुक्त जिम्मेदारी

(ख) एनएमआईयू से भारत सरकार निधियां/अनुदान प्राप्त करने के लिए एसपीवी या किसी अन्य कानूनी संस्था का ब्यौरा;

(ग) योजना के निबंधन व शर्तों का पालन करने का वचन;

(घ) एलएमसी के साथ सहयोग करने और मिलकर काम करने का वचन;

(ङ) योजना के तहत परियोजना की समाप्ति के बाद एलएम तकनीकों को लागू करना जारी रखने का वचन;

(च) एनएमआईयू को प्रगति की आवधिक रिपोर्टिंग के लिए वचनपत्र ; और

(छ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता और एकल संपर्क बिंदु के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति।

4.3 योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए संबंधित एमएसएमई–विकास संस्थान और एनएमआईयू के क्षेत्रीय/शाखा/स्थानीय कार्यालय द्वारा मिनी क्लस्टर को सहायता दी जाएगी।

4.4 योजना की सभी अपेक्षाओं के लिए संपर्क बिंदु बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी(लाभार्थी की ओर से) की पहचान की जाएगी। वह मिनी क्लस्टर की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरी भी होगा और अनुबंध 2 में दिए गए फार्मेट के अनुसार इस आशय के मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

4.5 राष्ट्रीय निगरानी और क्रियान्वयन इकाई (एनएमआईयू) - राष्ट्रीय निगरानी और क्रियान्वयन इकाई (एनएमआईयू) , योजना को सुविधाजनक बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। एनएमआईयू गुणवत्ता प्रबंधन और/या लीन विनिर्माण कार्यक्रमों के अनुभव और योग्यता के साथ एक सक्षम राष्ट्रीय स्तर का संगठन होगा और एमएसएमई द्वारा आउटसोर्स की गई परियोजना के ' नियंत्रण कक्ष ' के रूप में कार्य करेंगी। यह विकास आयुक्त (एमएसएमई) की ओर से कार्यक्रम के हर चरण की निगरानी करेंगी। एनएमआईयू के क्षेत्र स्तर के कार्यालय/परियोजना कार्यालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी** (आइए) के रूप में कार्य करेंगे। ये आईए परियोजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रोजमर्रा की गतिविधियों का निर्वहन करेंगी। आईए एलएमसी , क्लस्टर इकाइयों , संबंधित संघों, एनएमआईयू , एमएसएमई – विकास संस्थानों,आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगी। एलएमसी और आईए एनएमआईयू को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो प्रकारांतर में विकास आयुक्त , एमएसएमई के कार्यालय में समेकित रिपोर्ट भेजेगी। परियोजना रिपोर्ट का निष्कर्ष एल

एम इंटरवेंशन के क्रियान्वयन के दौरान प्राप्त ठोस परिणामों को दिखाने के लिए तैयार किया जा सकता है। ठोस लाभ के लिए सूचक मापदंड लाभ मार्जिन में वृद्धि, कारोबार/निर्यात में वृद्धि, कारोबार अनुपात में वृद्धि, एलएम कार्यान्वयन के दौरान चलाई गई विशिष्ट परियोजनाओं के लाभ, वस्तुसूची में परिवर्तन - कारोबार अनुपात, अस्वीकृति की दर में कमी, स्थान के उपयोग में बचत, आदि हो सकते हैं।

4.6 एनएमआईयू लीन विनिर्माण योजना के कार्यान्वयन को सक्षम संगठनों को आउटसोर्स कर सकती है।

4.7. एनएमआईयू की सुझाई गई भूमिका

क) एनएमआईयू द्वारा देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और साथ ही क्लस्टरों के पास स्थित स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से विकास आयुक्त एमएसएमई की निगरानी और कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करना।

ख) योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना, टीएसी के माध्यम से जांच करना और अपनी सिफारिशों के साथ एसएससी के विचारार्थ प्रस्तुत करना।

ग) एलएमसी से प्रस्ताव आमंत्रित करना, उनका आकलन करना और एसएससी के अनुमोदन के लिए एलएमसी की एक पैनलबद्ध सूची प्रस्तुत करना। एलएम परामर्शदाता का एक पैनल रखना।

घ) योजना के धन का एक अलग खाता रखना।

ई) कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर और संबंधित एलएमसी के संतोषजनक प्रदर्शन पर रिपोर्ट के प्रति लाभार्थियों को सीधे कोष जारी करना।

च) निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना।

छ) सहमत प्रारूपों के अनुसार विकास आयुक्त, एमएसएमई कार्यालय में नोडल अधिकारी को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। किसी भी लाभार्थी या एलएमसी के गैर संतोषजनक प्रदर्शन या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के संबंध में अपवाद रिपोर्ट, यदि कोई हो, तैयार करना ।

ज) इकाइयों के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू करेगी और उन्हें योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा, एल एम परामर्शदाता के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम/अन्य आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

झ)एनएमआईयू की मूल्यांकन टीम में उद्योग के विशेषज्ञों को लेना।

ञ) कार्यान्वयन एजेंसी (आइए) और एमएसएमई विकास संस्थान के परामर्श से एलएमसी और मिनी क्लस्टर में मेल करना।

ट)मानक कार्रवाई की योजना बनाना।

ठ)मासिक समीक्षा और कठिनाइयां दूर करना।

ड)मिनी क्लस्टर वार/एलएमसीवार राष्ट्रीय रिपोर्ट।

ढ) समाचार पत्र के प्रकाशन, ज्ञान, सफलता की कहानियां, केस स्टडी, आदि की पुस्तक तैयार करने जैसी विशिष्ट गतिविधियों को करना।

ण) नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट, समापन रिपोर्ट या परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अन्य रिपोर्ट विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय को प्रस्तुत करना।

त) योजना के कार्यान्वयन के लिए इंटरैक्टिव गतिशील वेबसाइट का अनुरक्षण करना।

4.8 एमनएमआईयू का चयन: एनपीसी और क्यूसीआई – दो राष्ट्रीय स्तर के संगठनों जिनके पास लीन विनिर्माण, गुणवत्ता आश्वासन आदि के क्षेत्र का ज्ञान है, को विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय निगरानी और क्रियान्वयन इकाइयों (एनएमआईयू) के रूप में विचार किया जाएगा। अन्य सक्षम राष्ट्रीय स्तर के संगठनों और उद्योग संघों (जो कानूनी संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं) जिन्हें गुणवत्ता प्रबंधन और/या लीन विनिर्माण कार्यक्रमों का अनुभव और योग्यता है, को भी एनएमआईयू के रूप में चुना जा सकता है। एनएमआईयू मुख्यालय प्रभारों, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा अर्थात् लिए गए मिनी क्लस्टर की संख्या पर इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि प्रत्येक एनएमआईयू को न्यूनतम 50 मिनी क्लस्टरों में लीन विनिर्माण योजना लागू करना है।

4.9 एनएमआईयू के भीतर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) : एनएमआईयू के लिए कई मिनी क्लस्टरों और उनके तकनीकी मुद्दों से निपटना, उत्पादकता के मामलों पर निर्णय लेना, रिपोर्ट तैयार करना , अनुमोदन के लिए क्लस्टरों की सिफारिशों , प्रगति आदि अपेक्षित होगा। इस प्रयोजन के लिए एनएमआईयू के भीतर एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) गठित की जाएगी जिसे उत्पादकता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। टीएसी में 3-4 उत्पादकता सलाहकार शामिल होंगे जिनके पास एल एम उपायों के माध्यम से क्लस्टर विकास के उत्तरदायी के रूप में पहचाने गए सभी प्रासंगिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए बहुल क्षेत्र का अनुभव हो। इसमें विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से भी एक प्रतिनिधि होगा। टीएसी सहित एनएमआईयू को निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होगा :

(क) एमसी से प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन और एसएससी को इस पर सिफारिशें देना ;

(ख) एलएमसी की आवधिक रिपोर्ट के प्रति, इकाई स्तर पर एलएम माइलस्टोन्स के कार्यान्वयन की तुलनात्मक जांच और तदनुसार इकाइयों के दावों की स्वीकृति का अनुमोदन ;

(ग) योजना में भाग लेनेवाली इकाइयों में एसपीवी के प्रतिनिधियों के साथ फील्ड का दौरा करना;

(घ) आवधिक अंतराल पर एलएमसी के लिए अभिविन्यास/सम्मेलनों का आयोजन ;

(ड़) प्रतिभागी इकाइयों और एलएमसी के लिए एक केंद्रीय डाटा बेस और संदर्भ पुस्तकालय बनाना ;

(च) भाग लेने वाली इकाइयों के लिए आवधिक कार्यशालाओं का आयोजन

(छ) एनएमआईयू के माध्यम से विकास आयुक्त एमएसएमई कार्यालय की टीएसी के निर्णयों का मूल्यांकन ।

4.10 लीन विनिर्माण कंसल्टेंट्स :

क) एक व्यक्ति या विधिवत रूप से पंजीकृत कंसल्टेंसी फर्म (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) या विनिर्माण प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित प्रमाणन एजेंसी द्वारा प्रमाणित , एलएमसी के रूप में इस योजना में भाग लेने की पात्र इकाई होगी। एनएमआईयू एल एम कंसल्टेंट्स का पैनेल बनाने के मापदंड के लिए एसएससी से अनुमोदन प्राप्त करेगी।

ख) एनएमआईयू एसएससी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित एल एम परामर्शदाताओं की एक पैनल बनाएगी।

ग) एलएमसी को एनएमआईयू द्वारा आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम/सम्मेलन में भाग लेना अपेक्षित हो सकता है। एनएमआईयू पैनल में शामिल एलएमसी के लाभ के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस प्रकार प्रशिक्षित एलएमसी की सूची भावी एमसी को परिचालित की जाएगी जो एनएमआईयू द्वारा पैनल में शामिल एक उपयुक्त एलएमसी की पहचान करेगा जो विशिष्ट एम सी में योजना आरंभ करेगा।

घ) कार्यान्वयन एजेंसी के परामर्श से मिनी क्लस्टर पैनेल में शामिल सूची में से विशेष रूप से एम सी के लिए उपयुक्त एल एम परामर्शदाताओं के नामों को चुनेगा/सिफारिश करेंगा।

ड़) चयनित एलएमसी एनएमआईयू को वित्तीय निविदा प्रस्तुत करेगा ।

च) विकास आयुक्त(एमएसएमई) का कार्यालय के परामर्श से एमसी और मांगी गई फीस के लिए एलएम कंसल्टैंट्स की उपयुक्तता के आधार पर एलएमसी के लिए मंजूरी देगा।

छ) एलएमसी को एनएमआईयू और एमसी के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

ज) कंसलटेंट को भुगतान(वित्तीय बोली के अनुसार) नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट में वर्णित विशिष्ट उपलब्धियों (चयनित मापदंडों में क्रमिक सुधार) के पूरा होने के आधार पर 5 बराबर किस्तों में किया जाता है। 10 एमएसएमई के एक मिनी क्लस्टर के लिए एलएम

कंसल्टेंट का भुगतान (सेवा कर सहित) अधिकतम 36 लाख रूपये होगा। छोटे क्लस्टर या ड्रॉपआउट के कारण परामर्शदाता का भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा।
झ) यदि लाभार्थी एमएसएमई या एनएमआईयू लीन कार्यान्वयन की प्रगति से संतुष्ट नहीं है, एलएमसी के साथ त्रिपक्षीय समझौता निष्क्रिय हो जाएगा और लाभार्थी एम सी एसएससी के अनुमोदन के साथ, एक नए एलएमसी का चयन कर सकता है।

4.11 एलएमसी की जिम्मेदारियां:

(क) संबंधित एम सी की प्रत्येक सदस्य इकाई पर मौजूदा प्रणाली का आकलन ;
(ख) प्रत्येक क्लस्टर के लिए नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट निर्दिष्ट एल एम कंसल्टेंट द्वारा तैयार की जाएगी। रिपोर्ट में आधारभूत डेटा के संबंध में माप योग्य लक्ष्य भी शामिल होगा। आधारभूत डेटा और अनुवीक्षण योग्य वृद्धिशील सुधार प्रत्येक इकाई के लिए अलग हो सकता है।
(ग) एल एम तकनीक (पूर्व निर्धारित लक्ष्यों) के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया और कार्यक्रम का विस्तृत विवरण मांगना।
(घ) योजना के अंत में प्रत्येक इकाई द्वारा प्राप्त किये जानेवाले परिमाणात्मक मानकों के अंतिम लक्ष्यों की पहचान करना ;
(ई) एल एम तकनीक का आकलन और उसके बाद कार्यान्वयन करने के लिए प्राप्त प्रत्येक इकाई के साथ निकट सहयोग में काम करना, और
(च) एसपीवी या एनएमआईयू द्वारा इसके प्रदर्शन पर उठाए गए विशिष्ट प्रश्नों का जवाब देना।
(छ) एनएमआईयू/विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा आयोजित अभिविन्यास/सम्मेलन/पुनः उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लेना ताकि योजना के कार्यान्वयन से संबंधित संदेह , यदि कोई हो, को दूर किया जा सके और अपने अनुभवों को अपने साथियों के साथ साझा करना और इस क्षेत्र में नए परिवर्तनों से एलएमसी को अवगत कराना। एलएमसी को स्वयं अपने खर्च पर इन कार्यशालाओं में भाग लेना होगा। कार्यशालाओं के आयोजन की लागत योजना के तहत वहन की जाएगी।

4.12 अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता: एलएमसी के कौशल उन्नयन के लिए एलएमसी को प्रशिक्षित करने के लिए और चुनिंदा मिनी क्लस्टरों में एलएमसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता के वैश्विक अनुभव को साझा करने के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं या संगठनों जिन्हें लीन विनिर्माण तकनीक के क्षेत्र में अनुभव हो (एशियाई उत्पादकता संगठन जैसे संगठनों से) सेवाएं ली जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय

परामर्शदाता का चयन सचिव एमएसएमई के अनुमोदन से नामांकन आधार पर एसएससी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4.13 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम - विकास संस्थान (एमएसएमई डीआई) की भूमिका : एमएसएमई विकास संस्थानों और इसकी शाखाओं की विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय होने के कारण इस योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है । इनमें शामिल हैं:

क) एनएमआईयू , एलएमसी, संघों, अन्य हितधारकों आदि के साथ समन्वय से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा , एमएसएमई विकास संस्थान विभिन्न सेमिनारों, आईएमसी, आदि के जरिये राष्ट्रीय लीन कार्यान्वयन पुरस्कार में भाग लेने और इस योजना का लाभ लेने के लिए संभावित एमएसएमई को प्रोत्साहित करेगा।

ख) एनएमआईयू के साथ संयुक्त रूप से, लीन कार्यान्वयन के प्रथम , तृतीय और पांचवें लेखापरीक्षा में भाग लेना।

i प्रथम लेखापरीक्षा प्रथम लक्ष्य अर्थात एलएम कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट के परिणामों के सत्यापन के लिए की जाती है जिसमें लीन कार्यान्वयन की स्थिति, प्रत्येक इकाई में क्रमिक सुधार प्राप्त करने की कार्य योजना आदि शामिल है। कार्य योजना लाभार्थी इकाई को स्वीकार्य और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

ii तीसरी लेखापरीक्षा डीएसआर की कार्य योजना में उल्लिखित उपलब्धियों को सत्यापित करने के रिपोर्ट के आधार (लक्ष्य आधारित रिपोर्ट, एमबीआर -3) पर की जाती है। कार्य योजना के मध्यावधि सुधार, यदि कोई हो, के अनुमोदन के लिए एनएमआईयू को भेजा जाना चाहिए। आमतौर पर बड़े मध्यावधि सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

iii कार्रवाई योजना की तुलना करते हुए अंतिम सुधारों की जांच के लिए एलएमसी द्वारा प्रस्तुत एमबीआर-5 के आधार पर पांचवा लेखा-परीक्षण किया गया है। यह अंतिम लेखा-परीक्षण है और एलएमसी द्वारा एक व्यापक रिपोर्ट (पूर्णता रिपोर्ट) तैयार की गई है।

ग) योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लाभार्थी एमएसएमई को सुविधा देना।

घ) जांच एवं संचालन समिति बैठकों में भाग लेना और लीन विनिर्माण परामर्शदाताओं के चयन के लिए बैठकें।

4.14 जांच एवं संचालन समिति (एसएससी): सर्वोच्च स्तर पर एसएससी योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, समीक्षा एवं सम्पूर्ण निर्देशन करेगी तथा इसके अध्यक्ष विकास आयुक्त (एमएसएमई) होंगे। एसएससी नीति निरूपण, योजना के कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी। इसे योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रचालनात्मक योग्यता के लिए दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधनों/प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के लिए सशक्त बनाया जाएगा। एसएससी, एनएमआईयू द्वारा उठाए गए विषयों पर विचार विमर्श करेगा। यह एनएमआईयू के लिए विस्तृत कार्यान्वयन कार्यनीति बनाएगा। यह प्रत्येक आवेदन पर एनएमआईयू की सिफारिशों पर भी विचार करेगा। एसएससी का संगठन इस प्रकार होगा:

1	अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, एमएसएमई	अध्यक्ष
2	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार अल्टरनेट ईए (आईएफडब्ल्यू)	सदस्य
3	एनएमसीसी की प्रतिनिधि	सदस्य
4	एनपीसी और क्यूसीआई जैसी विशेषज्ञ एजेन्सियों के प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रभारी, एनएमआईयू	सदस्य
6	संघों के प्रतिनिधि	सदस्य
7	संबंधित/आमंत्रित एमएसएमई-वि.सं. के निदेशक	सदस्य
8	विकास आयुक्त, एमएसएमई में एलएमसीएस की देखरेख कर रहे नोडल अधिकारी	सदस्य-सचिव
9	विशेष आमंत्रित / विशेषज्ञ / परामर्शदाता /औद्योगिक परामर्शदाता / एसपीवी	

संचालन समिति अपनी बैठकें आवधिक रूप से अथवा जब भी अपेक्षित हों, आयोजित करेगी।

5. **कार्यान्वयन अवधि**: प्रत्येक मिनी क्लस्टर में निदानात्मक अध्ययन पूर्ण करने, कार्रवाई योजना कार्यान्वित करने, विकास संबंधी चरणों की जांच, अंतिम रिपोर्ट जमा कराने आदि के लिए अधिकतम 18 महीने की कार्यान्वयन अवधि होगी। तथापि यह अपेक्षित है कि लाभार्थी इकाईयां भारत सरकार के कार्यक्रम के निर्गम के बाद लीन विनिर्माण तकनीकों का अनुपालन करेंगी। लीन विनिर्माण तकनीकों के कार्यान्वयन के निष्पादन को 5 चरणों में विभक्त किया जाएगा। लीन विनिर्माण परामर्शदाताओं को निधियां जारी करने से पूर्व लेखा-परीक्षण में प्रत्येक चरण की जांच की जाती है।

- 1 चरण- क्लस्टर विशिष्ट निदानात्मक अध्ययन रिपोर्ट (डीएसआर) पूर्ण होना। डीएसआर में शामिल है:
  - विद्यमान स्थिति (5 एस, कार्यस्थल प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा संरक्षण, डाईज का सिंगल मिनट एक्सचेंज, सकल उत्पादक रखरखाव, विस्तृत सूची में कमी, संगठनात्मक ढांचा, लेआऊट, विनिर्माण की प्रक्रिया, विज्युअल बेस लाईन सर्वेक्षण, 7 अपशिष्टों को चिन्हित करना, इन्वेंटरी व्यवहार्य, प्रमुख दीर्घकालिक समस्याएं आदि)
  - विकास परक सुधारों की उपलब्धि के लिए समयबद्ध लक्ष्य। मानदण्डों को 1-10 के पैमाने पर रेट किया जाता है।
  - चरण वार कार्रवाई योजना
  - गुणवत्तापरक, मात्रात्मक, आर्थिक लाभ उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।
- 2, 3, 4 और 5 चरण- अगले चरण के लिए विकास परक सुधार 1-10 के पैमाने पर है।

कार्यान्वयन चरण के दौरान प्राप्त लाभ उठाने के लिए इकाइयां एलएमसी के संपर्क में रहेगी। मिनी क्लस्टर के गहन समन्वयन में एलएमसी विभिन्न मानदण्डों के पूर्व एवं पश्चात की स्थिति का दस्तावेज रखेगा/तैयार करेगा। यह प्रलेखन मामला अध्ययन, फोटोग्राफ वीडियो आदि के रूप में होगा। दस्तावेज समय-समय पर विकास आयुक्त, एमएसएमई कार्यालय में जमा कराए जाएंगे। मिनी क्लस्टरों के संदर्भ में पहला (चरण आधारित रिपोर्ट-एमबीआर-1), तीसरा (एमबीआर-3) और अंतिम चरण (एमबीआर-5) का लेखा-परीक्षण एनएमआईयू और विकास आयुक्त (एमएसएमई) के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा।

6.0 कवरेज और पात्रता: योजना देशभर में सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए खुली है। इकाइयां डीआईसी (ईएम-II) अथवा किसी अन्य एजेंसी (व्यावसायिक निकाय, संघ, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि) से पंजीकृत होनी चाहिएं। इकाइयों के लिए योजना में भाग लेने के लिए आपस में एक समझौता ज्ञापन (अनुबंध 1) पर हस्ताक्षर करके आदर्शत: 10 इकाइयों (न्यूनतम 6) का एक एमसी गठित करना जरूरी है।

7.0 अनुमोदन प्रकिया

- एनएमआईयू एसएससी अनुमोदन के लिए आवेदनों की जांच एवं सिफारिश करेगा। एनएमआईयू/एमसी एसएससी में प्रस्ताव पेश करेगा।

- यदि कोई आवेदन पूरा नहीं है तो एसएससी "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान कर सकता है। एमसी उसके बाद अपेक्षाओं को पूरा करेगा। एनएमआईयू अनुपालन के लिए पर्याप्त प्रयास करेगा। एक बार एनएमआईयू अनुपालन से संतुष्ट होने के बाद एसएससी को सूचना देते हुए संस्वीकृति मेमो जारी कर सकता है।
- अपनी परियोजना के लिए संस्वीकृति प्राप्त करने के बाद एमसी एलएमसी के चयन की प्रक्रिया आरंभ करेगा और एनएमआईयू के परामर्श से शर्तों को अंतिम रूप देगा। एसपीवी इसके बाद एनएमआईयू को शर्तों का विवरण उपलब्ध कराएगा जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन जारी करेगा जिससे एमसी, एलएमसी और एनएमआईयू के साथ तृपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बन सकेगा।

8. अनुमोदित गतिविधियां और बजट परिव्यय:

लाख रू. में

गतिविधियां	कार्यक्रमों की सं.	भारत सरकार के प्रति कार्यक्रम	लाभार्थी का अंशदान	कुल[1] भारत सरकार	कुल लागत
क. जागरूकता एवं चालित कार्यक्रम 1000 (प्रति क्लस्टर एक दिवसीय अवधि). आवश्यकता आधारित।	1000	0.7	0	700	700
ख. लीन परामर्शदाताओं के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम। प्रति वर्ष एक कार्यक्रम	4	6	0	24	24
ग. [2]मिनी क्लस्टर स्तर पर कार्यानवयन प्रभार	500	2.3	0	1150	1150
घ. सौंपी गई गतिविधियों के अनुवीक्षण के लिए एनएमआईयू शुल्क	500	2.8	0	1400	1400
ड. एनएमआईयू मुख्यालय प्रकोष्ठ प्रभार	4	150	0	600	600
च. क्लस्टरों में एसएससी/टीएसी दौरा	4	10	0	40	40
छ.[3] 10 इकाइयों के प्रति मिनी क्लस्टर का 18 माह की अवधि अथवा पूर्ण होने तक @ 36 लाख रू. (अधिकतम) की दर से एलएम परामर्शदाता प्रभार (भारत सरकार:इकाइयां::80:20)	500	28.8	3600	14400	18000
ज. न्यूजलेटर/वेबसाइट/प्रकाशन प्रतिवर्ष के लिए 5 लाख रू.। सर्वोत्तम व्यवहार्यों का प्रसार, प्रचार	4	5	0	20	20
झ. लीन विनिर्माण पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला 8 कार्यक्रम	8	6	0	48	48
ञ. प्रशिक्षण-डीओ अधिकारी एमएसएमई का (प्रतिवर्ष 3 दिवसीय अवधि का एक कार्यक्रम)	4	3	0	12	12
ट. विविध व्यय जैसे मानक पाठ्यक्रम तैयार करना, लीन अवधारणा संबंधी जानकारी के लिए पुस्तक, परिणामों की स्वतंत्र जांच, प्रलेखन, प्रशासनिक व्यय, दिशानिर्देशों का मुद्रण, कार्यालय स्वचालन उपकरण की खरीद, प्रचार, सफलता की कहानियां तैयार करना और मुद्रित करना आदि	-	-	0	100	100
ठ. प्रायोगिक चरण (11वें एफवाईपी में आरंभ) के 100 मिनी क्लस्टरों, सफलता की कहानियां तैयार करके मुद्रण आदि के लिए एनपीसी को शेष राशि (शेष चरणों के लिए अनुवीक्षण प्रभार, परामर्शदाता शुल्क) का भुगतान किया जाना ।	-	-	0	1000	1000
ड. एनएमआईयू परामर्शदाताओं/मिनी क्लस्टरों के लिए परामर्शदाता विशेषीकृत इन्पुटों के लिए एपीओ जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग				1000	1000
कुल	-	-	3600	20494	**24094**

1. सभी राशियों में सेवा कर शामिल है।

2.[1] ग, घ और ड की गतिविधियों के लिए भुगतान प्रो रैटा आधार पर होगा अर्थात मिनी क्लस्टरों की संख्या जिनमें एनएमआईयू द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।

3.[1] क्लस्टर में इकाईयों की संख्या कम होने अथवा कुछ इकाइयों के हट जाने के मामले में प्रभारों का भुगतान प्रो रैटा आधार पर किया जाएगा। क्लस्टर का न्यूनतम आकार-6 इकाइयां।

9. निधियों के हस्तांतरण की पद्धतियां

i. एलएमसी एसपीवी को दी गई सेवाओं के लिए बिल बनाएगा। एसपीवी द्वारा एलएमसी को चरणबद्ध आधार पर 20 प्रतिशत प्रत्येक की पांच किस्तों में किया जाएगा। पहले चरण (डीएसआर तैयार करना और स्वीकृत करना) की उपलब्धि के बाद एसपीवी, एलएमसी को अपने अंशदान का भुगतान करेगा (20 प्रतिशत शुल्क की पहली किस्त)। एनएमआईयू द्वारा बाद की चार किस्तों का भुगतान योजना निधियों में से किया जाएगा। एनएमआईयू एमसी के खाते में निधियां जारी करेगा और एमसीएलएमसी को भुगतान करेगा।

ii. **एनएमआईयू को निधि हस्तांतरण:** राष्ट्रीय स्तर पर योजना के निर्बाध एवं तीव्र प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए योजना के तहत परिकल्पित अनुदान की कुल राशि आवधिक रूप से एनएमआईयू को हस्तांतरित की जाएगी जिसे एनएमआईयू द्वारा खोले गए अलग खाते में रखा जाएगा। एनएमआईयू पूर्व-निश्चित शर्तों को पूरा करने के लिए इस राशि को खाते से निकाल सकेगा। एनएमआईयू निधियों की स्थितियों का रिकार्ड रखेगा और एसएससी को आवधिक रूप से इसकी रिपोर्ट करेगा।

iii. **एसपीवी को निधि हस्तांतरण:** एनएमआईयू परियोजना के लिए अलग से खोले गए एसपीवी/एमसी के खातों में निधियां हस्तांतरित करेगा। ये निधियां विशेष चरण पूरा होने पर तथा उस चरण की उपलब्धि की रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद तथा एलएमसी की संतोषजक निष्पादन के लिए एलएमपी को एसपीवी द्वारा किए जाने वाले शुल्क के भुगतान के लिए हस्तांतरित की जाएंगी। एनएमआईयू, एसपीवी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के प्रमाणपत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य मांगेगा जो प्रगति रिपोर्ट का भी एक भाग होगा।

निधि प्रवाह चार्ट

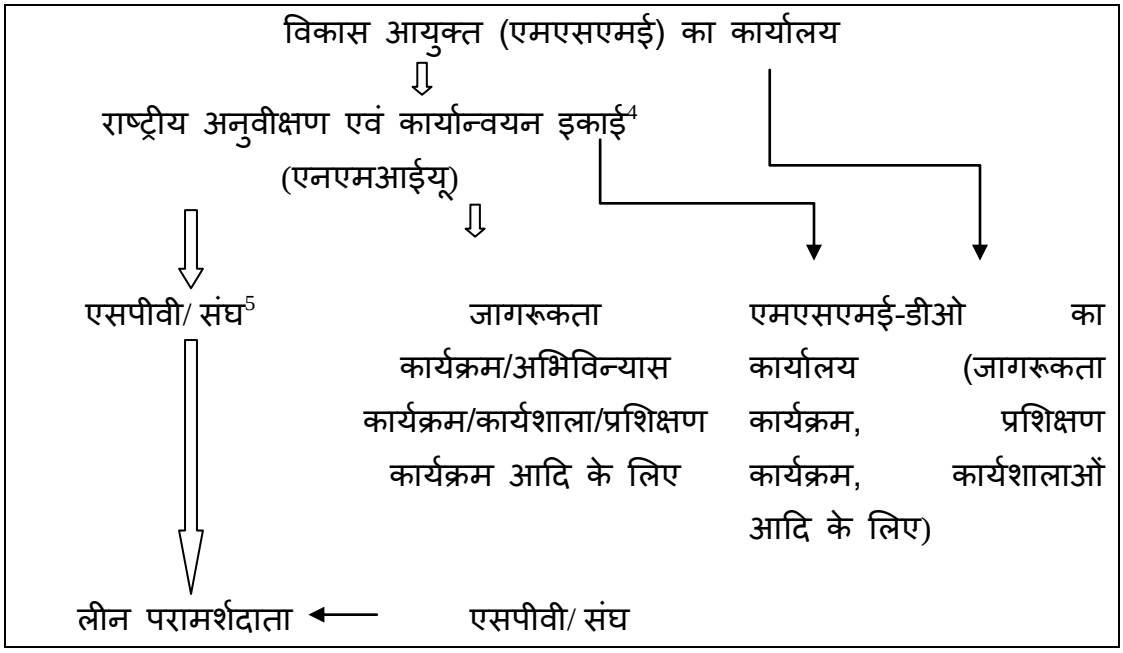

[4] समझौता ज्ञापन पर आधारित

[5] एसपीवी/संघों को प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां प्रदान की जाएंगी ताकि वे एलएम परामर्शदाताओं के साथ संपर्कों को बेहतर बनाएं।

अनुबंध– 1

(उचित मूल्य के स्टैंप पेपर निष्पादित किए जाएं)

मिनी क्लस्टरों (एमसी) के बीच समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन इस तिथि _____2013 के _____ वे दिन को प्रवृत्त हुआ है।

के बीच

1._____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **पहला पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

2. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **दूसरा पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

3. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **तीसरा पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

4. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **चौथा पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

5. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **पांचवां पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

6. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **छठा पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

7. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **सातवां पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारीयों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

8. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **आठवां पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और

स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

9. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **नौवां पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

10. _____ , जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पर है (जिसे यहां **दसवां पक्ष** कहा गया है, जिसमें जब तक संदर्भ के विरूद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारियों और स्वीकृत व्यक्ति शामिल हैं)

पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें भाग के उपरोक्त उल्लिखित पक्षों को सामूहिक रूप से पक्ष कहा गया है और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से पक्ष के रूप में कहा गया है।

जबकि

उद्देश्य

इस समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली इकाइयों को, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (इसके पश्चात इसे एमएसएमई कहा गया है), भारत सरकार की लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना के कार्यान्वयन के लिए आपस में जोड़ना है।

संदर्भ

1. एमएसएमई की लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना, 2013 के दिशानिर्देश
2. लीन विनिर्माण परामर्शदाताओं (एलएमसी) के पैनल की सूची

3. पृष्ठभूमि

वैश्वीकरण के आगमन के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में प्रतियोगिता निरंतर बढ़ रही है। इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में, स्वयं को बचाये रखने के लिए उद्यमों को कार्य-कुशल पद्धतियों को अपनाना होगा । जहां एक ओर बड़े उद्योगों के पास सामान्यत: समर्पित निधियां होती हैं, वहीं दूसरी ओर लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास इस प्रमुख किन्तु अप्रत्यक्ष गतिविधि के लिए समय अथवा संसाधन नहीं होते ।

इन उद्योगों को कार्य कुशल बनाने में सहायता करने के लिए, सू.ल.म.उ. मंत्रालय ने लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना प्रारंभ की है । इस योजना में, एक-समान उत्पादों का उत्पादन करने वाली तथा एक-समान उत्पादन प्रक्रिया वाली, आदर्श स्थिति में 10

एमएसएमई (न्यूनतम 6) इकाइयों को जोड़ा जाएगा ।

4. स्कोप

यह समझौता-ज्ञापन मिनी क्लस्टर में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इन इकाइयों के बीच की शर्तों को परिभाषित करता है ।

अब इस पर निम्नानुसार सहमति है :-

1 कंसोर्टियम

1.1 इस योजना के कार्यान्वयन में संयुक्त रूप में सहभागिता के प्रयोजन से ये पक्ष एतद् द्वारा एक अपरिवर्तनीय कंसोर्टियम (ये कंसोर्टियम) का गठन करते हैं ।

1.2 ये पक्ष एतद् द्वारा केवल इस कंसोर्टियम के माध्यम से तथा इस प्रयोजन के लिए न तो व्यक्तिगत रूप से और/अथवा न ही किसी अन्य कंसोर्टियम के माध्यम से, अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा न ही उनके किसी साझेदार के माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहभागिता करने का वचन देते हैं ।

2. वचन पत्र

ये पक्ष एतद् द्वारा वचन देते हैं कि इस कंसोर्टियम के चयनित घोषित होने की स्थिति में, इस प्रयोजन के लिए संयुक्त समझौते के संबंध में सहभागियों के रूप में अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त समझौता करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को समाविष्ट किया जाएगा ।

3. पक्षों की भूमिका

क. मिनी क्लस्टर के सभी सदस्यों की सामूहिक एवं संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे अपने मिनी क्लस्टर में लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना चलाएं । ये सदस्य इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इस संगठन के सभी स्तरों के प्रतिनिधित्व वाली एक टीम को देंगे ।

ख. ये इकाईयां कार्यान्वयन की पूरी अवधि के दौरान लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना की शर्तों का पालन करेंगी ।

ग. ये इकाईयां अपनी प्रक्रिया के निदानात्मक अध्ययन के लिए लीन विनिर्माण परामर्शदाता को सहयोग करेंगी तथा उनके साथ मिलकर कार्य करेंगी, तथा इस

प्रयोजन के लिए लीन विनिर्माण परामर्शदाता (एलएमसी) द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक इनपुट और अपेक्षित सूचना उपलब्ध करायेगी ।

घ. ये इकाईयां एलएमसी द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन का वचन देती हैं, तथा किसी स्थिति में ऐसा करने में असमर्थ रहने पर, वे उस परामर्शदाता की संतुष्टि के लिए लिखित में उस स्थिति को स्पष्ट करेंगे, जो उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा तथा उस उद्योग में प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए नये सिरे से सिफारिश करेगा ।

ड. ये इकाईयां जानती हैं कि लागत का 80% तक सरकारी अनुदान 18 महीने अथवा समापन होने तक के लिए है, तथा इकाईयां इस एसपीवी के माध्यम से स्वयं न्यूनतम एक और वर्ष तक इस योजना को वित्त पोषित और कार्यान्वित करने पर सहमत हैं ।

च. ये इकाईयां इस योजनाद्वारा अपेक्षित समय-समय पर अपनी प्रगति की रिपोर्ट देंगी। ऐसा करने में असफल रहने पर राष्ट्रीय निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) द्वारा प्रतिपूर्ति में विलंब किया जा सकता है।

4. मौद्रिक एवं निष्पादन संबंधी शर्तें :

i. मिनी क्लस्टर को एक बार अनुमोदन मिलने के पश्चात इस योजनाके प्रयोजन के लिए मिनी क्लस्टर की इकाईयां एक एसपीवी बनाएगी ।

ii. तत्पश्चात एसपीवी पैनल की सूची में से लीन विनिर्माण परामर्शदाता को खोजेगी, अथवा एनएमआईयू को उनके लिए परामर्शदाता ढूंढने के लिए कहेंगी । एलएमसी के लिए विचारार्थ विषय इस योजनाके दिशानिर्देशों में दिये अनुसार होगा ।

iii. मिनी क्लस्टर के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु एसएससी द्वारा एनएमआईयू को स्वीकृति देने के पश्चात ये इकाईयां एसपीवी के निलम्बन लेख खाते (एस्क्रो अकाउंट) में लीन विनिर्माण परामर्शदाता के कुल शुल्क के 20% के बराबर की राशि का योगदान करेंगी।

iv. ये एलएमसी इन एसपीवी के लिए निदानात्मक अध्ययन करेंगे तथा कार्रवाई मदों के सेट सहित पहली रिपोर्ट के साथ प्रथम चरण के लिए बीजक (इनवायस) प्रस्तुत करेंगे ।

v. इन इकाइयों द्वारा किए गए अंशदान में से शुल्क के 20% की प्रथम किस्त का भुगतान एसपीवी करेगा ।

vi. इस खाते के संचालन के लिए एसपीवी दो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा एक निलम्बन लेख खाता (एस्क्रो अकाउंट) खोलेगा ।

vii. एनएमआईयू बदले में एलएमसी की सिफारिश पर इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई के सत्यापन के पश्चात दी गई राशि का एसपीवी को प्रतिपूर्ति करेगा । ये कार्य एलएमसी द्वारा तथा एनएमआईयू द्वारा की गई अचानक जांच के आधार पर किए जाएंगे।

viii अगले चरण से आगे एसपीवी को उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित एलएमसी को अदा किए गए शुल्क की रसीद प्रस्तुत करनी होगी ।

ix. इस योजनाके लिए सरकारी अनुदान एलएमसी के परामर्शदाता शुल्क का 80% तक सीमित होगा । एसपीवी को प्रतिपूर्ति की प्रथम खेप प्राप्त करने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा ।

5. निगरानी प्रक्रिया

इन इकाइयों को एलएमसी के माध्यम से अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में एनएमआईयू को देनी होगी । प्रगति रिपोर्ट न भेजने अथवा अपर्याप्त प्रगति पर उस मिनी क्लस्टर से उस इकाई का निलंबन हो सकता है तथा प्रारंभ में दी गई किसी भी राशि का भुगतान उस इकाई को नहीं किया जाएगा ।

6. एसपीवी में अंशधारिता

ये पक्ष इस बात से सहमत हैं कि एसपीवी में इन पक्षों में अंशधारिता का अनुपात ट्रस्टियों के रूप में होगा ।

7. वैधता

यह समझौता ज्ञापन इस मिनी क्लस्टर को जांच एवं संचालन समिति (एसएससी) द्वारा अनुमोदन मिलने तक वैध होगा, तत्पश्चात मिनी क्लस्टर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल में बदल जाएगा ।

उपर्युक्त तारीख को निष्पादित और किए गए इस समझौते के उपर्युक्त नामित पक्षों के गवाह।

पहले पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और किया गया गवाह

1.

2.

दूसरे पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और किया गया गवाह

1.

2.

तीसरे पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और किया गया गवाह

1.

2.

चौथे पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और किया गया गवाह

1.

2.

पांचवे पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और किया गया गवाह

1.

2.

छठे पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और किया गया गवाह

1.

2.

अनुबंध-2

मुख्तारनामा
(एम सी द्वारा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को)

(संबंधित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर)

मुख्तारनामा

जबकि विकास आयुक्त (एम एस एम ई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना के कार्यान्वयन के लिए एक योजना की घोषणा की है।

जबकि, योजना का लाभ लेने वाली उद्योग इकाइयां योजना की आवश्यकता के अनुसार मिनी क्लस्टर गठित करने और योजना तथा इस योजना से संबंधित अन्य दस्तावेज़ों की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार, अपने उद्योगों में लीन विनिर्माण तकनीकों को अपनाने के इच्छुक हैं।

जबकि, मिनी क्लस्टर के सदस्यों के लिए योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इकाइयों की ओर से तथा उनके लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए मिनी क्लस्टर के प्रस्ताव के संबंध में आवश्यकतानुसार सभी कार्य, कृत्य तथा चीज़ें करने हेतु समस्त आवश्यक अधिकारों और प्राधिकारों के साथ एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है, जिसके पास संयुक्त रूप से काम करते हुए, मिनी क्लस्टर की ओर से, योजना के लिए मिनी क्लस्टर के आवेदन पत्र के संबंध में आवश्यकतानुसार सभी कार्य, कृत्य तथा चीज़ें करने के लिए आवश्यक समस्त शक्ति और प्राधिकार हैं।

अब इस मुख्यतारनामे को साक्ष्यांकित किया जाता है कि:

हम, मैसर्स.....,
.....,.....
.....,.....,.....
.....,.....,.....
,..... एतद्द्वारा योजना के संबंध में आवेदन पत्र/प्रस्ताव

की प्रस्तुति, सम्मेलनों में भाग लेने, पूछताछ का उत्तर देने, सूचना/दस्तावेज़ों का प्रस्तुतिकरण करने, और आमतौर पर परीक्षण एवं संचालन समिति, राष्ट्रीय निगरानी तथा कार्यान्वयन इकाई, लीन विनिर्माण सलाहकार, विकास आयुक्त (एम एस एम ई) के कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी अथवा व्यक्ति के साथ सभी कार्यों में मिनी क्लस्टर का प्रतिनिधित्व करने सहित, मिनी क्लस्टर के लिए आवश्यक अथवा सांयोगिक सभी अथवा कोई कार्य, कृत्य अथवा चीज़ें करने के लिए, श्री/श्रीमती..... को मिनी क्लस्टर के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हैं।

हम एतद्द्वारा नोडल अधिकारी द्वारा विधिसम्मत किए गए सभी कार्यों, कृत्यों और चीज़ों की अभिपुष्टि करने के लिए सहमत हैं। हमारे कथित अटार्नी इस मुख्तारनामे के अनुवर्ती एवं हमारे कथित अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कृत्य अथवा चीज़ें सदैव हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे।

दिनांक.....का.....वां दिन

.....

(कार्यान्वयनकर्ता)

(कंसोर्टियम के सभी सदस्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा)

अनुबंध-3

<u>एम सी द्वारा आवेदन पत्र का स्वरूप</u>

विकास आयुक्त (एम एस एम ई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 की लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्कता योजना में सहभागिता के लिए आवेदन पत्र का स्वरूप

दिनांक:.....

इकाई का नाम और पता

दूरभाष संख्या

ई-मेल तथा फैक्स

विषय: लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना में सहभागिता के लिए आवेदन पत्र

महोदय,

हम, अधोहस्ताक्षरी, अपने उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। हमने योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को पढ़ लिया है। इच्छुक उद्योगों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक, कंपनी का नाम, पता टेलीफोन नं., सहित, उत्पाद, ई.एम. नं., संख्या, ई-मेल और फैक्स, जारी करने की तारीख

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

जारी कर्ता

(प्रतिलिपि संलग्न)

हमने अपने परिसर में उत्पाद निर्माण का मूल्यांकन किया है और हम अनुभव करते हैं कि हम लीन विनिर्माण तकनीक का उपयोग करके दक्षता प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के अनुसरण में हम विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) को सम्मिलित करना चाहते हैं जिसका नाम.....जो ..... अधिनियम, वर्ष के अंतर्गत शामिल है। इस संबंध में इकाइयों के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, और इकाइयों ने योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से अपनी ओर से प्रेषण हेतु अधोहस्ताक्षरी को मुख्तारनामा के साथ संयुक्त रूप से नामित किया हे। समझौता-ज्ञापन और मुख्तारनामा की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

आपका,

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

संलग्नक:

1. समझौता-ज्ञापन
2. मुख्तारनामा